



No. SMC/7/GNL-14/2011/656

दिनांक : 03/03/2022

सार्वजनिक सूचना

सिलवासा नगर पालिका द्वारा सभी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की, निम्नलिखित सभी बिंदुओं पर ध्यान दें और उसका पालन करें।

1. अपने दुकान/घर के पास/रोड पे/निजी जगहों पे/खुली जगहों पर कचरा/प्लास्टिक/पॉलिथीन/बांधकाम सामग्री इत्यादि न फेंके।
2. सभी दुकानदारों/पथ विक्रेताओं के पास गीला और सुखा कचरा के पृथक्करण के लिए कचरे का डिब्बा होना अनिवार्य है, और गीला और सुखा कचरा अलग अलग ही देना होगा।
3. प्लास्टिक, थर्मोकोल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग, बिक्री, संग्रहण, और वितरण करना मना है।
4. प्लास्टिक से बने हुए पाउच, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के पैकेजिंग का प्रयोग बिक्री, संग्रहण करना मना है।
5. अपने दुकान/घर के पास/रोड पे/ खुली जगहों पर कचरा जलाना मना है।
6. खुले में पेशाब/शौच करना मना है।

स्वच्छता संबंधित इन सभी बिंदुओं का पालन न करने पर सिलवासा नगर पालिका द्वारा दादरा नगर हवेली सिलवासा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (हैंडलिंग और प्रबंधन) उपनियम, 2018 और ठोस अपशिष्ट (संशोधन) (हैंडलिंग और प्रबंधन) उपनियम, 2020 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

सिलवासा नगर पालिका द्वारा आप सभी को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी भी प्रकार का विज्ञापन सार्वजनिक स्थलों/निजी स्थलों पर लगाने के लिए सिलवासा नगर पालिका की अनुमति जरूरी है। 40 sq. ft. से कम आकार के विज्ञापन निजी स्थलों पर लगाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी विज्ञापन बिना अनुमति के सिलवासा नगर पालिका क्षेत्र में पाया गया, तो इस पर दादरा नगर हवेली सिलवासा नगर पालिका विज्ञापन कर नियम, 2018 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

(डॉ. मनोज कुमार पांडेय)
मुख्य अधिकारी
सिलवासा नगर पालिका
सिलवासा

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, सिलवासा नगर पालिका, सिलवासा।
2. उपाध्यक्ष, सिलवासा नगर पालिका, सिलवासा।
3. निर्देशक (नगरपालिका प्रशासन) के कार्मिक सहायक (PA), दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, सचिवालय, दमन।
4. कलेक्टर के कार्मिक सहायक (PA), दादरा और नगर हवेली, सिलवासा।
5. स्वास्थ्य अधिकारी, सिलवासा नगर पालिका, सिलवासा।
6. प्रशासनिक अधिकारी, सिलवासा नगर पालिका, सिलवासा।